रजिस्ट्री सं० डी० — 221 REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क
PART II–Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 3 नई दिल्ली, शनिवार, 22 अक्तूबर 2016/30 आश्विन, 1938 (शक) खंड LII
NO. 3 NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 2016/ASVINA 30, 1938 (SAKA) VOL. LII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (शक)

दि कांस्टीट्यूशन (वन हंडरेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह भारत का संविधान के अनुच्छेद 394क के अधीन उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :--

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, October 22, 2016/Asvina 30, 1938 (Saka)

The following translation in Hindi of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under article 394A of the Constitution of India: --

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016

[8 सितम्बर, 2016]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है ।

नए अनुच्छेद 246क का अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 246 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध ।

"246क. (1) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, और खंड (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल को, संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी ।

(2) जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है वहां संसद् को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे ।"।

अनुच्छेद 248 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड (1) में "संसद्" शब्द के स्थान पर "अनुच्छेद 246क के अधीन रहते हुए, संसद्" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अनुच्छेद 249 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 249 के खंड (1) में "समीचीन है कि संसद्" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 250 का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 250 के खंड (1) में, "प्रवर्तन में है" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल या सेवा कर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 268 का संशोधन ।

6. संविधान के अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, "तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 268क का लोप ।

7. संविधान के अनुच्छेद 268क, जो संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 269 का संशोधन ।

8. संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) में, "(1) माल के क्रय" कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर "(1) अनुच्छेद 269क में यथा उपबंधित के सिवाय, माल के क्रय" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 269क का अंतःस्थापन ।

9. संविधान के अनुच्छेद 269 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

"269क. (1) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में, जो संसद् द्वारा, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय को अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय समझा जाएगा ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य को प्रभाजित रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(4) जहां अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का उपयोग खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(5) संसद्, विधि द्वारा, प्रदाय के स्थान का और इस बात का कि माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कब होता है, अवधारण करने संबंधी सिद्धांत बना सकेगी ।"।

अनुच्छेद 270 का संशोधन ।

10. संविधान के अनुच्छेद 270 में,--

(i) खंड (1) में, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा संगृहीत कर भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित किया जाएगा ।

(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसा कर, जिसका उपयोग अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित रकम भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित की जाएगी ।"।

अनुच्छेद 271 का संशोधन ।

11. संविधान के अनुच्छेद 271 में, "भी, संसद्" शब्दों के पश्चात् ", अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 279क का अंतःस्थापन ।

12. संविधान के अनुच्छेद 279 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

माल और सेवा कर परिषद् ।

"279क. (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगा ।

(2) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) संघ का वित्त मंत्री -- अध्यक्ष ;

(ख) संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्यमंत्री -- सदस्य ;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री -- सदस्य ।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे ।

(4) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी--

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्गृहीत कर, उपकर और अधिभार, जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जा सकेंगे ;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सकेंगी या

जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी ;

(ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, अनुच्छेद 269क के अधीन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल पर उदगृहीत माल और सेवा कर के उद्ग्रहण, प्रभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं ;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी ;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं ;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें ;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध ; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्गृहीत किया जाए ।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

(7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में, गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी ।

(8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

उस बैठक में,--

(क) केन्द्रीय सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ।

(10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि--

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(11) माल और सेवा कर परिषद्,--

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच ; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच ; या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

परिषद् की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उद्भूत किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी ।"।

अनुच्छेद 286 का संशोधन ।

13. संविधान के अनुच्छेद 286 में,--

(i) खंड (1) में,--

(अ) "माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय" शब्दों के स्थान पर "माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय पर, जहां ऐसा प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) में, "माल के आयात या उसके" शब्दों के स्थान पर, "माल के या सेवाओं के या दोनों के आयात अथवा माल के या सेवाओं के या दोनों के" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (2) में, "माल का क्रय या विक्रय" शब्दों के स्थान पर, "माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (3) का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 366 का संशोधन ।

14. संविधान के अनुच्छेद 366 में,--

(i) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(12क) "माल और सेवा कर" से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के प्रदाय पर कर के सिवाय माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई कर अभिप्रेत है ;";

(ii) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(26क) "सेवाओं" से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है ;

(26ख) "राज्य" के अंतर्गत, अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में, विधान-मंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेत्र भी आता है ;'।

अनुच्छेद 368 का संशोधन ।

15. संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) में, "अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

छठी अनुसूची का संशोधन ।

16. संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 8 के उपपैरा (3) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के अंत में, "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ;"।

सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

17. संविधान की सातवीं अनुसूची में,--

(क) सूची 1 -- संघ सूची में,--

(i) प्रविष्टि 84 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क,--

(क) अपरिष्कृत पैट्रोलियम ;

(ख) उच्च गति डीजल ;

(ग) मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात) ;

(घ) प्राकृतिक गैस ;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन ; और

(च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद ।";

(ii) प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 92ग का लोप किया जाएगा ;

(ख) सूची 2 -- राज्य सूची में,--

(i) प्रविष्टि 52 का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि 54 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"54. अपरिष्कृत पैट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल का अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नहीं आता है ।";

(iii) प्रविष्टि 55 का लोप किया जाएगा ;

(iv) प्रविष्टि 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाए ।"।

माल और सेवा कर के आरंभ किए जाने के कारण राज्यों को राजस्व की हानि के लिए प्रतिकर ।

18. संसद्, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकर प्रदान करेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

19. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त माल या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों से असंगत है तब तक जब तक कि किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका संशोधन या लोप नहीं किया जाता है या जब तक कि ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें जो भी पहले हो, प्रवृत्त बना रहेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

20. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से ठीक पूर्व यथा विद्यमान संविधान के उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों में संक्रमण से संबंधित कोई कठिनाई भी है), राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के किसी उपबंध या विधि का कोई अनुकूलन या उपातंरण भी है, जो राष्ट्रपति को कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगा:

परन्तु ऐसी स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति ।

डा० जी० नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार ।

RAM DAYAL Digitally signed by RAM DAYAL Date: 2016.12.21 16:22:32 +05'30'

GMGIPMRND—3965GI(CRC)—20.12.2016